नरेन्द्र कुमार सिंह, भा0प्र0से0, जिला पदाधिकारी, मुंगेर की अध्यक्षता में दिनांक 12.11.2013 को समाहरणालय सभाकक्ष में सम्पन्न विकास समन्वय समिति की मासिक समीक्षा बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति – यथा पंजी।

उपस्थिति की समीक्षा के क्रम में आई0टी0 प्रबंधक, मुंगेर अनुपस्थित पाए गए, जिसके निमित्त निदेश दिया गया कि बिना सूचना दिए अनाधिकृत अनुपस्थिति के लिए आई0टी0 प्रबंधक, मुंगेर अपना स्पष्टीकरण एक सप्ताह के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करें। साथ ही स्पष्टीकरण निष्पादित होने तक उनके वेतन की निकासी पर रोक लगाई जाती है।

सभी पदाधिकारियों को सख्त निदेश दिया गया कि बैठक के निर्धारित समय पर ही बैठक में उपस्थित होंगे, अन्यथा विलम्ब उपस्थिति अथवा अकारण/अनाधिकृत अनुपस्थिति के लिए वेतन की निकासी पर रोक लगाई जाएगी।

तत्पश्चात बिहार सरकार द्वारा संचालित विभिन्न विकासपरक योजनाओं की पूर्व सम्पन्न मासिक समीक्षा बैठक के दौरान प्रदत्त निदेशों के अनुपालन की समीक्षा की गई एवं महत्वपूर्ण तथा जनोपयोगी विभागीय योजनाओं की प्राथमिकतावार समीक्षा कर संबंधित पदाधिकारियों को निम्नलिखित निदेश दिए गए :–

<u>लोक सेवा का अधिकार अधिनियम :–</u>

1. लोक सूचना अधिकार अधिनियम तहत् विभिन्न सेवाओं के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों के विरूद्ध लंबित आवेदनों की संक्षिप्त प्रतिवेदन निम्नलिखित है :–

क्र0	विभाग	लंबित आवेदनों की सं0	समय सीमा के पश्चात् लंबित आवेदनों की सं0
1	अंचल कार्यालय	9225	817
2	प्रखंड कार्यालय (सा0सु0)	8317	6105
3	अनुमंडल कार्यालय	395	18
4	जिला (GAD)	5571	219
5	राजस्व विभाग	1178	165
6	गृह विभाग	412	35
7	परिवहन	05	00
8	निबंधन	143	111
9	वाणिज्य कर	12	00
10	ग्रामीण विकास	50	41
कुल योग		25308	7511

2. संबंधित पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि लंबित एवं समय सीमा के पश्चात् अनिष्पादित आवेदनों को यथाशीघ्र निष्पादित करना सुनिश्चित करें।
3. विदित हो कि अनुमंडल पदाधिकारी एवं भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता लोक सेवा अधिकार अधिनियम अन्तर्गत अपीलीय प्राधिकार हैं, अतः समय सीमा के पश्चात् अबतक अनिष्पादित आवेदनों के दोषी पदाधिकारियों के विरूद्ध लोक सेवा अधिकार अधिनियम की धारा–7 के तहत् अधिकतम 5000/– रू0 दण्ड अधिरोपित कर दण्ड की राशि चालान के माध्यम से संबंधित शीर्ष में जमा कराकर प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करें।
4. अनुमंडल पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि RTPS काउण्टर पर किसी भी परिस्थिति में किसी अनाधिकृत व्यक्ति/दलालों के माध्यम से समूह में आवेदन पत्र नहीं लिए जाएँ।
5. यह स्थिति अत्यन्त दुःखद है कि जिला जनता दरबार में बारम्बार यह शिकायत प्राप्त होती है कि धरहरा प्रखंड में RTPS काउण्टर पर पेंशन संबंधी आवेदन नहीं लिया जाता है जिसके कारण आवेदकों द्वारा सीधे जनता दरबार में ही आकर आवेदन देते है। इस तरह का कृत्य प्रखंड विकास पदाधिकारी के सरकारी कार्यों के प्रति लापरवाही एवं कार्य

अक्षमता की ओर ईशारा करती है, जो क्षम्य नहीं है। अतः प्रखंड विकास पदाधिकारी, धरहरा को निदेश दिया गया कि इस तरह की शिकायत दुबारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष आने पर उनके विरूद्ध विधिसम्मत कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।

<u>निर्वाचन :–</u>

6. समीक्षा के दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि कोशी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत 15.11.2013 तक सदर में 2467, जमालपुर नगर में 262, जमालपुर ग्रामीण में 286, बरियारपुर में 295, खड़गपुर में 549, टेटियाबंबर में 203 एवं असरगंज+संग्रामपुर में 835 आवेदन प्राप्त हुए हैं। आवेदनों के निस्तारण के संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि प्राप्त आवेदन पत्रों के साथ संलग्न कागजातों का सत्यापन मूल प्रमाण पत्रों से करते हुए unique ID नं0 चढ़ाकर जिला निर्वाचन कार्यालय को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध करा देंगे।
7. कोशी स्नातक निर्वाचन संबंधी प्रपत्र–18 (नाम जोड़ना), 7 (नाम हटाना), 8(नाम संशोधन) एवं 8क (नाम परिवर्त्तन) की प्रखंडवार विस्तृत विवरणी सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी यथाशीघ्र जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराएँगे। साथ ही प्रपत्र–9, 10 एवं 11 में पाण्डुलिपि तैयार कर अपने–अपने कार्यालय प्रकोष्ठ के सूचना पट्ट पर आवश्यक रूप से लगाना सुनिश्चित करेंगे।
8. प्रपत्र 6, 7 एवं 8 की अद्यतन स्थिति निम्नवत् पाई गई :–

क्र0	प्रखंड का नाम	प्रपत्र–6	प्रपत्र–7	प्रपत्र–8
1	165–मुंगेर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र	25306	1012	833
2	जमालपुर	8223	393	1943
3	धरहरा	3557	395	418
4	असरगंज	2138	638	303
5	तारापुर	3386	400	923
6	टेटियाबंबर	1477	484	749

9. सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि इस सप्ताह में बी0एल0ओ0 की बैठक कर प्रपत्र जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराएँ ताकि इसे अपलोड किया जा सके।
10. सभी सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी द्वारा अपने क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारियों को दिए गए प्रशिक्षण के उपरान्त व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं मूल अभिश्रव जिला निर्वाचन कार्यालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।
11. सभी सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को पूर्व सम्पन्न बैठक में निदेश दिया गया था कि मतदाताओं के बीच निर्वाचन के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए SVEEP अन्तर्गत उपलब्ध कराए गए पोस्टर, बैनर, फ्लैक्स आदि का संस्थापन जिले के विर्निष्ट एवं जनोपयोगी स्थानों पर निश्चित रूप से कराएँगे, परन्तु इससे संबंधित प्रतिवेदन अप्राप्त होने की वजह से पुनश्च निदेश दिया गया कि प्रखंडवार उपलब्ध कराए गए पोस्टर,, बैनर, फ्लैक्स इत्यादि को अधिष्ठापित कराए गए स्थानों की सूची सहित प्रतिवेदन उपलब्ध कराएँगे। उक्त कार्य का अनुश्रवण अनुमंडल पदाधिकारी अपने स्तर से करना सुनिश्चित करेंगे।
12. निर्वाचक सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, 2013 के अन्तर्गत प्रपत्र–6,7,8 एवं 8क की अद्यतन स्थिति, उपलब्ध कराई गई त्रुटिरहित मतदाता सूची, मतदाता सूची में शत–प्रतिशत फोटो आच्छादन, कंट्रोल टेबल से संबंधित सभी मतदान केन्द्रों की आवश्यक विवरणी कार्य यथासमय सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे।
13. अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, मुंगेर द्वारा अवगत कराया गया कि इन्टरनेट एवं सर्वर के slow processing के कारण निर्वाचन कार्य में परेशानी हो रही है। इस निमित्त उप

निर्वाचन पदाधिकारी, मुंगेर को निदेश दिया गया कि इस तथ्य की विस्तृत जानकारी विभाग को पत्राचार के माध्यम से दें।

14.उप निर्वाचन पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि विभिन्न प्रपत्रों/प्रतिवेदनों की अद्यतन जानकारी दैनिक रूप से प्रखंड विकास पदाधिकारियों से लेते हुए संध्या में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थापित करेंगे ताकि दैनिक अनुश्रवण कर कार्य में तेजी लाई जा सके।

15.सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि बी0एल0ओ0 को देय मानदेय की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजते हुए शेष आवश्यकता का आंकलन कर दो दिनों में जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराएँ।

16.समीक्षा बैठक में परिलक्षित मतदान केन्द्रों के गलत अक्षांश एवं देशान्तर की प्रविष्टि के संदर्भ में उप निर्वाचन पदाधिकारी, मुंगेर को निदेश दिया गया कि पाई गई त्रुटि का यथाशीघ्र निराकरण कर अवगत कराया जाए।

17.अनुमंडल पदाधिकारी यथाशीघ्र वज्रगृह निर्माण हेतु जमीन चिन्हित कर प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करें।

पंचायत उप निर्वाचन, 2013 :-

18.राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार के पत्रांक 2818, दिनांक 01.11.13 द्वारा पंचायतों एवं ग्राम कचहरियों के रिक्त पदों पर उप-निर्वाचन दिसम्बर माह में सम्पन्न कराने की कटिबद्धता के निमित्त समयबद्ध कार्यक्रम निम्नरूपेण उपलब्ध कराई है :-

(क)	प्रारूप प्रकाशन	11.11.13 से 25.11.13
(ख)	प्राप्त दावा आपत्ति का निराकरण	11.11.13 से 28.11.13 तक
(ग)	मतदाता सूची में नयी प्रविष्टियों पर आयोग का अनुमोदन	02.12.2013 तक
(घ)	मतदाता सूची का अन्तिम प्रकाशन	04.12.2013 तक
(ङ)	मतदाता सूची का मुद्रण	06.12.2013 तक

19.मुंगेर जिला के कुल 78 मतदान केन्द्रों पर पंचायत उप-निर्वाचन होना है, जिसके रिक्तियों की स्थिति निम्नवत् है :-

ग्राम पंचायत सदस्य	:-	09
ग्राम कचहरी पंच	:-	09
ग्राम पंचायत मुखिया	:-	01
ग्राम कचरहरी सरपंच	:-	03
कुल रिक्ति	:-	**22**

20.सभी संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि वार्डवार मतदाता सूची के प्रकाशन की सारी तैयारियाँ यथासमय पूर्ण करेंगे एवं तत्संबंधी प्रतिवेदन से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराएँगे।

सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना, 2013 :-

21.समीक्षा के क्रम में जिला समन्वयक द्वारा आश्वस्त किया गया कि कुल 3308 EB में 111 EB में परेशानी हो रही है, परन्तु शेष EB का D File generate कर pdf file दिनांक 20.11.13 तक अवश्य तैयार कर लिया जाएगा। तदालोक प्रखंड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि समयबद्ध कार्यक्रम की महत्ता के मद्देनजर अपने स्तर से सभी आवश्यक तैयारियाँ पूर्ण कर लेंगे।

22.उप विकास आयुक्त, मुंगेर को निदेश दिया गया कि इस कार्यक्रम का दैनिक अनुश्रवण करते हुए परिलक्षित त्रुटियों/कमियों/समस्याओं का निराकरण कर कार्य में उत्तरोत्तर वृद्धि अर्जित करने की दिशा में ठोस कदम उठाएँगे तथा उपरोक्त कार्य में लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारियों/कर्मियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई का प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी को देंगे।

23.सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना के वृहत् प्रचार-प्रसार हेतु विभग द्वारा उपलब्ध कराए गए दीवार लेखन के नमूना की प्रति सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को उपलब्ध कराते हुए निदेश दिया गया कि पंचायत/प्रखंड/अनुमंडल एवं जिला स्तरीय मुख्यालय भवन एवं अन्य सरकारी भवनों के दीवार पर नमूना के अनुसार दीवार लेखनी कराएँगे।

सामाजिक सुरक्षा :-

24. पूर्व सम्पन्न कई बैठकों में निर्दिष्ट निदेश *"किसी भी परिस्थिति में किन्हीं पंचायत सचिव के पास सामाजिक सुरक्षा मद की कोई राशि समायोजन हेतु लंबित नहीं होना चाहिए।"* की विस्तृत समीक्षोपरान्त पाया गया कि नगर परिषद्, जमालपुर सामाजिक सुरक्षा मद की विभिन्न पेंशन योजनाओं का अग्रिम के रूप में उपलब्ध कराई गई लगभग 84.00 लाख रू0 का अभिश्रव अनुपलब्ध रहने के कारण समायोजन लंबित है। साथ ही जून माह तक की राशि का ही वितरण हुआ है जबकि अन्य सभी जगहों पर सितम्बर माह तक वितरण हो चुका है। इसी प्रकार नगर पंचायत, ह0 खड़गपुर के पास समायोजन हेतु लगभग 41.00 लाख रू0 लंबित है जिसके समायोजन की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही प्रखंड विकास पदाधिकारियों को भी निदेश दिया गया कि यथाशीघ्र संबंधित पंचायत सचिव के पास अग्रिम की लंबित राशि का अभिश्रव प्राप्त कर समायोजन की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे तथा सितम्बर माह तक पेंशन मद की राशि अर्हीर्तित व्यक्तियों के बीच वितरण कराना सुनिश्चित करेंगे।

25. इसी प्रकार अग्रिम के रूप में धरहरा प्रखंड के पंचायत सचिव, श्री सुबक लाल को दी गई पेंशन मद की लगभग 22,00,000/- (बाईस लाख) रू0 की राशि का समायोजन अबतक नहीं किया जाना चिंताजनक है। इस हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, मुंगेर को भी पूर्व सम्पन्न बैठक में निदेश दिए जाने के बावजूद अपेक्षित कार्रवाई नहीं किया जाना खेदजनक है। अतएव पुनश्च निदेश दिया जाता है कि विषय की गंभीरता को देखते हुए संबंधित पंचायत सचिव के विरूद्ध विधिसम्मत् कार्रवाई प्रारंभ करें।

26. सामाजिक सुरक्षा पेंशन मद में जो एकमुश्त राशि अग्रिम के रूप में वितरण हेतु दिया गया है उसके व्ययोपरान्त अभिश्रव संलग्न करते हुए राशि का समायोजन कराया जाए। इस कार्य की समीक्षा अनुमंडल पदाधिकारी क्षेत्र भ्रमण के दौरान करेंगे तथा अनियमितता पाए जाने पर दोषी पंचायत सचिवों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई करेंगे।

27. सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी कबीर अन्त्येष्टि योजना का वित्तीय वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराएँगे।

28. निदेश दिया जाता है कि जिन प्रखंडों में वितरण पंजी मदवार एवं घटकवार नियमानुसार संधारित नहीं किया जाता है उनके विरूद्ध संभावित वित्तीय अनियमितता में भागीदार मानते हुए कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। अतः मदवार एवं घटकवार पंजी ही संधारित करें।

29. सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, मुंगेर को निदेश दिया गया कि क्षेत्र भ्रमण कर पंजियों के संधारण, राशि की निकासी एवं अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं की जाँच कर, पाई गई त्रुटियों का निराकरण करेंगे।

कृषि विभाग :-

30. वित्तीय वर्ष 2010-11 में डीजल अनुदान मद में पूर्व में उपलब्ध कराई गई राशि एवं वर्तमान में उपावंटित राशि के वितराण के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं अभिश्रव सहित डी0सी0 बिल जमा करने का पुनश्च निदेश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिया गया।

31. डीजल अनुदान अन्तर्गत तीन फसलों के पटवन हेतु प्रखंडों को उपावंटित राशि के वितरण की स्थिति की समीक्षा के क्रम में प्रखंड विकास पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि असरगंज में उपावंटित मो0 41.00 लाख रू0 में लगभग 40.00 लाख रू0 का वितरण किया गया है तथा शेष राशि प्रत्यर्पित कर दी जाएगी। इसी प्रकार तारापुर प्रखंड को उपावंटित 53.00 लाख रू0 में से लगभग 15.00 लाख रू0 एक फसल के पटवन हेतु वितरण किया गया है। निदेश दिया गया कि डीजल अनुदान हेतु उपावंटित राशि के वितरणोपरान्त व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र देंगे एवं शेष राशि का प्रत्यर्पण सुनिश्चित करेंगे।

32. समीक्षा अवधि में ज्ञात हुआ कि कई ऐसे प्रखंडों के नहर क्षेत्र में पानी होने के बावजूद पटवन के लिए डीजल अनुदान की राशि वितरण की गई है, जबकि इसके विपरीत सर्वाधिक आवश्यकता वाले प्रखंडों में वितरण नहीं किया गया है, जो अनियमितता की ओर ईशारा करती है। अतः जिला कृषि पदाधिकारी, मुंगेर को निदेश दिया गया कि डीजल अनुदान के वितरण का विस्तृत प्रतिवेदन तैयार कर उपरोक्त विषयांकित मामले के मद्देनजर दोषी प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी से स्पष्टीकरण पूछें तथा विभाग को भी इससे अवगत कराएँ।

33. सभी अनुमंडल पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि प्रत्येक प्रखंड कृषि पदाधिकारी के कार्यकलापों की जाँच कर प्रतिवेदित करें। विशेषकर जाँच के क्रम में यह स्पष्ट समीक्षा करें कि उन्हें कृषि कार्यालय से किस मद में कितनी राशि दी गई है एवं कितनी राशि का समायोजन उनके द्वारा किया गया है ?

34. विदित हो कि के0सी0सी0 हेतु विभाग द्वारा पूर्व में दिनांक 15.11.13 एवं 26.11.13 को शिविर की तिथि निर्धारित की गई थी, परन्तु मुहर्रम, 2013 के घोषित अवकाश की तिथि में परिवर्तन के कारण पूर्व निर्धारित 15.11.13 की शिविर दिनांक 18.11.13 को प्रस्तावित की गई है। अतः सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी उक्त तिथियों को प्रति पंचायत कम-से-कम 100 आवेदन प्राप्त करने का लक्ष्य रखते हुए कार्य को पूर्ण कराएँगे। इसके लिए पूर्व वर्ष में प्राप्त अनिष्पादित आवेदन पत्रों को बैंकों से प्राप्त कर समेकित करते हुए पुनर्जीवित कर इस वर्ष शामिल कर निष्पादित कराना एक बेहतर विकल्प होगा।

<u>पंचायती राज :-</u>

35. पूर्व सम्पन्न बैठक में निदेश दिया गया था कि पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु जमलापुर प्रखंडान्तर्गत इन्द्ररूख पश्चिमी मुख्यालय पंचायत, क्लस्टर नं0-3 एवं खड़गपुर प्रखंडान्तर्गत बरूई पंचायत मुख्यालय के भूमि का प्रस्ताव संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी माह के अन्त तक अवश्य उपलब्ध करा देंगे, परन्तु प्रस्ताव अबतक अप्राप्त है। निदेश दिया गया कि यदि पंचायत मुख्यालय में जमीन उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो समीपवर्त्ती पंचायत की जमीन कार्यकारिणी समिति से पारित कराकर संसूचित करें ताकि विभाग को भी इस आशय की जानकारी दी जा सके।

36. वित्तीय वर्ष 2008-09 से 2012-13 तक पंचायतों से संबंधित लंबित डी0सी0 बिल के समायोजन की कार्रवाई प्रखंड विकास पदाधिकारी सुनिश्चित कराएँगे।

37. सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि पंच, सरपंच, मुखिया, वार्ड पार्षद इत्यादि को मानदेय भुगतानोपरान्त प्राप्ति रसीद जिला पंचायती राज कार्यालय को प्रत्येक माह अवश्य उपलब्ध कराया जाए।

38. सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को प्रत्येक माह कम-से-कम एक पंचायत का निरीक्षण कर कार्यवाही उपलब्ध कराने का आदेश देने के बावजूद इसका अनुपालन नहीं किया जाना चिंताजनक एवं कर्त्तव्य शून्यता को दर्शाता है। अतः पूर्व प्रदत्त निदेश का अनुपालन निश्चित रूप से किया जाए, अन्यथा बाध्य होकर विधिसम्मत कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी।

39. सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि लंबित CWJC के मामलों का गंभीरतापूर्वक ससमय प्रतिशपथ पत्र दाखिल करेंगे।

40. जनशिकायत संबंधी मामलों को प्रमुखता देते हुए आवेदन पत्रों का निष्पादन तीव्र गति से सुनिश्चित करें।

<u>BRGF, 12वाँ/13वाँ/14वाँ वित्त आयोग, चतुर्थ राज्य वित्त निगम</u>

41. बी0आर0जी0एफ0 अन्तर्गत प्रखंडों को उपलब्ध कराई गई द्वितीय किश्त की राशि के व्ययोपरान्त उपयोगिता प्रमाण भेजने का निदेश प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिया गया।

42. बी0आर0जी0एफ0 क्षमतावर्द्धन के लिए प्रखंडों को उपावंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण प्रखंड विकास पदाधिकारी यथाशीघ्र उप विकास आयुक्त को उपलब्ध कराएँगे।

43. चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर क्रमशः उच्च प्राथमिकता, अन्य विकास एवं असम्बद्ध अनुदान के रूप में ग्राम पंचायतों तथा पंचायत समितियों को राशि उपावंटित की गई है, परन्तु संबंधित ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों से प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होना खेदजनक है। अतएव प्रखंड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि प्रक्षेत्रवार, यथा-उच्च प्राथमिकता, अन्य विकास एवं असम्बद्ध अनुदान का प्रगति प्रतिवेदन संकलित कर उप विकास आयुक्त, मुंगेर को प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

44. इसी प्रकार 12वॉ एवं 13वॉ वित्त आयोग अन्तर्गत आवंटित राशि के व्ययोपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र ससमय जिला परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराएँगे।

<u>इंदिरा आवास योजना :-</u>

45. ध्यानरत् हो कि दिनांक 28.11.13 को जिले में इंदिरा आवास का विशेष शिविर निर्धारित है जिसके लिए प्रथम एवं द्वितीय किश्त की राशि सभी प्रखंडों को उपलब्ध कराई जा चुकी है तथा जिसे AWAS Software पर अपलोड किया जाना है, परन्तु वित्तीय वर्ष 2013-14 के डाटा इन्ट्री की वेब प्रति देखने से स्पष्ट हुआ कि असरगंज एवं तारापुर प्रखंड को छोड़कर किसी भी प्रखंड द्वारा अपलोडिंग का कार्य नहीं किया जा रहा है। उक्त परिपेक्ष्य में उप विकास आयुक्त, मुंगेर को निदेश दिया गया कि सर्वाधिक खराब प्रदर्शन करने वाले पदाधिकारी/कर्मी के विरूद्ध प्रपत्र-"क" गठित करते हुए विभाग को संसूचित किया जाए।

46. आप अवगत हैं कि इंदिरा आवास योजनान्तर्गत द्वितीय किश्त विमुक्ति प्रस्ताव कम-से-कम 60% राशि व्ययोपरान्त ही भेजना है, जबकि माह अक्टूबर, 2013 तक मात्र 34% ही व्यय हुआ है। अतः आवश्यक है कि द्वितीय किश्त भुगतान हेतु पंचायतों में युद्ध स्तर पर बचे हुए लाभुकों का सत्यापन एवं फोटोग्राफी कार्य पूर्ण करा लिया जाए।

47. इसके अतिरिक्त अन्य कार्रवाईयाँ पूर्ण करने का निदेश प्र0वि0पदा0 को दिया गया :-

- प्रत्येक माह के अंतिम वृहस्पतिवार को इंदिरा आवास का विशेष शिविर का आयोजन करना।
- द्वितीय किश्त हेतु अवशेष लाभुकों का सत्यापन कर जांचोपरान्त राशि का भुगतान करना।
- 01.04.2004 के पूर्व अनुसूचित जाति/जनजाति के <u>अधूरे/अपूर्ण</u> आवासों की सूची अबतक अप्राप्त जमालपुर एवं खड़गपुर प्र0वि0पदा0 द्वारा उपलब्ध कराया जाना।
- वित्तीय वर्ष 2012-13 में बी0पी0एल0 सूची में नाम जोड़कर चढ़ाए गए आई0डी0 नं0 सहित हस्ताक्षरयुक्त सूची उपलब्ध कराना।
- आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रमान्तर्गत अधूरे/अपूर्ण आवासों को पूर्ण कराना।
- वास स्थल के तहत् ऐसे इंदिरा आवास लाभुकों की सूची जिन्हें भूमि आवंटित कर इंदिरा आवास का लाभ दिया गया हो।

48. सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी यह विशेष ध्यान देंगे कि जिन लाभुकों को इस वित्तीय वर्ष में इंदिरा आवास का लाभ दिया जाना है उसके साथ मनरेगा योजनान्तर्गत शौचालय निर्माण की स्वीकृति भी देते हुए अभिलेख खोलकर लाभार्थियों की खाता संख्या सहित सूची कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा को निश्चित रूप से उपलब्ध कराएँगे ताकि इसकी विधिवत् MIS प्रविष्टि की जा सके।

49. प्रखंड विकास पदाधिकारी नियमित क्षेत्र भ्रमण कर भौतिक सत्यापन कर प्रतिवेदित करेंगे कि अर्हताधारी लाभुकों को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है अथवा नहीं। अनुमंडल पदाधिकारी भी अपने स्तर से समय-समय पर क्षेत्र भ्रमण कर इंदिरा आवास योजनान्तर्गत निर्माणाधीन इंदिरा आवासों के पूर्णता की जाँच करेंगे।

जनशिकायत :-

50.मुख्यमंत्री सचिवालय एवं जिला जनता दरबार द्वारा प्रेषित जन शिकायत के लंबित आवेदनों की स्थिति विभागवार निम्न है :-

क्र0	विभाग का नाम	मुख्यमंत्री सचिवालय			जिला जनता दरबार		
		भेजे गए आवेदन की सं0	निष्पादित आवेदनों की सं0	लंबित आवेदनों की सं0	भेजे गए आवेदन की सं0	निष्पादित आवेदनों की सं0	लंबित आवेदनों की सं0
1	2	3	4	5	6	7	8
01	अनुमंडल पदाधिकारी, सदर	50	35	15	1576	901	675
02	अनुमंडल पदा0, खड़गपुर	58	39	19	537	353	184
03	अनुमंडल पदा0, तारापुर	146	122	24	426	218	208
04	प्र0वि0पदा0, सदर				384	228	156
05	प्र0वि0पदा0, जमालपुर				401	299	102
06	प्र0वि0पदा0, बरियारपुर				172	76	96
07	प्र0वि0पदा0, धरहरा	08	03	05	336	162	174
08	प्र0वि0पदा0, खड़गपुर	03	01	02	193	73	120
09	प्र0वि0पदा0, टेटियाबंबर	05	03	02	69	09	60
10	प्र0वि0पदा0, तारापुर				67	19	48
11	प्र0वि0पदा0, असरगंज	03	02	01	42	25	17
12	प्र0वि0पदा0, संग्रामपुर	01	00	01	60	10	50
कुल		274	205	69	4263	2373	1890

51.मुख्य सचिव कोषांग एवं जिला जनता दरबार के माध्यम से उपलब्ध कराए गए आवेदनों को प्राथमिक कार्य योजना में शामिल करते हुए नियमित रूप से निष्पादित कराना सुनिश्चित करेंगे। प्रखंड विकास पदाधिकारी उपरोक्त आवेदनों में निःसहाय, गरीबी, हित, हनन, अनियमितता संबंधी आवेदनों पर गंभीरतापूर्वक निष्पादन करायेंगे। इस कार्य का अनुश्रवण अनुमंडल पदाधिकारी स्वयं करते हुए लंबित आवेदनों का निष्पादन सुनिश्चित कराएँगे।

अन्यान्य :-

1. भवनहीन विद्यालय/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/अतिरिक्त प्रा0स्वा0के0/उप स्वा0केन्द्र/आंबनबाड़ी केन्द्र/सामुदायिक भवन/मनरेगा भवन/प्रखंड-सह-अंचल भवन/थाना भवन इत्यादि हेतु जमीन चिन्हित करने के लिए पंचायत/प्रखंड/अंचल/परियोजना स्तरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक कर प्रस्ताव तैयार कर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया जाए।
2. समीक्षा बैठक अवधि के दौरान सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को जे0पी0 स्वतंत्रता सेनानियों के लिए विभाग द्वारा प्राप्त ID Card उपलब्ध कराते हुए निदेश दिया गया कि इन्हें संबंधित सेनानियों के बीच वितरित कर प्राप्ति प्रति जिला सामान्य शाखा, समारहणालय, मुंगेर को निश्चित रूप से भेज दिया जाए।
3. प्रखंड विकास पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि CWJC/MJC/LPA/Cr.WJC/सूचना का अधिकार एवं मानवाधिकार आयोग एवं लोकायुक्त से संबंधित परिवाद पत्रों का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर करेंगे।
4. पूर्व प्रदत्त निदेशों के बावजूद समीक्षा बैठक के दौरान यह ज्ञात हुआ कि किसी भी प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा पंचायतों में कार्यान्वित विकासपरक योजनाओं तथा कार्यालयों का निरीक्षण नहीं किया जा रहा है। यह अत्यन्त ही आपत्तिजनक एवं दुःखद है तथा प्रखंड विकास पदाधिकारियों के अनियमितता में संलिप्तता को भी प्रदर्शित करता है। अतः पुनश्च निदेश दिया जाता है कि प्रत्येक प्रखंड विकास पदाधिकारी माह में कम-से-कम एक पंचायत का विस्तृत निरीक्षण कर निरीक्षण प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को भेजेंगे।

5. अनुमंडल पदाधिकारी को सभी प्रखंडों में योजनावार पंजियों के संधारण कराने का भी निदेश दिया गया।

6. समीक्षा के क्रम में ज्ञात हुआ कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा भवनहीन आंगनबाड़ी केन्द्र भवन की अद्यतन सूची अंचल अधिकारियों को उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण सूची चिन्हित करने में काफी परेशानी होती है। इस निमित्त अनुमंडल पदाधिकारी एवं भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता को निदेश दिया गया कि संयुक्त रूप से अपने अनुश्रवण में प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी/बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/प्रखंड एवं अंचल स्तरीय पदाधिकारियों के साथ मनरेगा भवन, पंचायत सरकार भवन, आंगनबाड़ी केन्द्र भवन, प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय भवन, थाना भवन इत्यादि के लिए नियमित बैठक कर भूमि का विस्तृत विवरणी सहित प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने की दिशा में अग्रत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

7. उप विकास आयुक्त, मुंगेर को निदेश दिया गया कि आगामी बैठक में समीक्षा हेतु सभी विभागीय योजनाओं का प्रपत्र तैयार कर अनुमंडल पदाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी को उपलब्ध कराते हुए निदेशित किया जाए कि वे विहित प्रपत्र में ही प्रगति प्रतिवेदन समर्पित करें। तत्पश्चात् प्राप्त प्रतिवेदनों को संकलित कर बैठक के दो दिन पूर्व अधोहस्ताक्षरी के अवलोकनार्थ अवश्य उपलब्ध कराया जाए।

8. इस कार्यवाही में प्रदत्त निदेशों का अक्षरशः अनुपालन के अतिरिक्त पूर्व सम्पन्न बैठक में निर्णित निदेशों का अनुपालन करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन उप विकास आयुक्त, मुंगेर को आगामी बैठक के पूर्व निश्चित रूप से उपलब्ध कराएँगे।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

23/11/13

जिला पदाधिकारी
मुंगेर।

ज्ञापांक 655/गो० दिनांक 23-11-13

प्रतिलिपि : नगर आयुक्त, नगर निगम, मुंगेर/ उप विकास आयुक्त, मुंगेर/ सिविल सर्जन, मुंगेर/जिला पंचायती राज पदाधिकारी, मुंगेर/सभी अनुमंडल पदाधिकारी/सभी भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता/उप निर्वाचन पदाधिकारी, मुंगेर/ वरीय उपसमाहर्त्ता प्रभारी, जिला स्थापना शाखा, मुंगेर/जिला नजारत शाखा, मुंगेर/जिला आपदा शाखा, मुंगेर/ सामान्य शाखा, मुंगेर/जनशिकायत कोषांग/ विधि/सूचना का अधिकार कोषांग/जिला विकास शाखा, मुंगेर/सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, मुंगेर/जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुंगेर/जिला कल्याण पदाधिकारी, मुंगेर/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0, मुंगेर/जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, मुंगेर/जिला कृषि पदाधिकारी, मुंगेर/जिला योजना पदाधिकारी, मुंगेर/जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, मुंगेर/आई0टी0 प्रबंधक, मुंगेर/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुंगेर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/11/13

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक 655/गो० दिनांक 23-11-13

प्रतिलिपि : आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

23/11/13

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।